

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ-9/सहायता/2025/2503

दिनांक 14/08/2025

संयुक्त शासन सचिव महोदय,
आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:-बजट डिमाण्ड आक्षेप के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2021 में बाढ से पशुओं(बड़े) की मृत्यु होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार आर्थिक सहायता के प्रकरण DMIS पोर्टल पर प्राप्त हुए थे किन्तु आवेदक अनभिज्ञ होने से पोर्टल पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार लघु/सीमान्त कृषक होने, पशु पंजीकृत होने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफआईआर रिपोर्ट आदि दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये थे जबकि दस्तावेज पूर्ण होने पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का प्रावधान है।

आवेदक का आवेदन दस्तावेजात् की पूर्ति करने के लिए दो-तीन बार रिटर्न किया जाकर, आक्षेपो की पूर्ति करने के उपरान्त प्रकरण स्वीकृत किये गये है। इस कारण ही विलम्बता हुई है। भविष्य में पुनर्रावृत्ति नहीं होगी। अतः निवेदन है कि उक्त स्वीकृति अनुसार बजट आवंटन कराने की कृपा फरमावे।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी(सहायता)
कार्यालय जिला कलक्टर,बारां

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), बारां

क्रमांक: AS/3158

दिनांक: 07/07/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL//BAR/0009736

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न बाढ़ के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार बाढ़से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/BARA/ 2021/0104 11	नाम: Mukutपिता का नाम: Ramcharanजिला: बारां	AHMDA, AHMDA, किशनगंज, पंचायत समिति -किशनगंज, ग्राम पंचायत -बजरगढ, गांव - अहमदा	10/08/2021	बाढ़	दिनांक 10.08.2021 बाढ़/अतिवृष्टि से पशुओं की मृत्यु होने पर एसडीआरएफ नोर्स के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।	30000
2	AR/BARA/ 2021/0101 94	नाम: Radheshyamपिता का नाम: Mathuralalजिला: बारां	2, अहमदी, किशनगंज, पंचायत समिति -किशनगंज, ग्राम पंचायत -बजरगढ, गांव - अहमदी	07/08/2021	बाढ़	दिनांक 10.08.2021 बाढ़/अतिवृष्टि से पशुओं की मृत्यु होने पर एसडीआरएफ नोर्स के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।	60000
योग							90000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-117-(02)-[01]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बारां

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि -निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर]
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, बारां]
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बारां]
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बारां

Signature valid

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar

Date: 2025.07.10 10:45:18 IST

Reason: SelfAttested

Location: